

**मध्यप्रदेश शासन
जनसम्पर्क विभाग
मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल
::आदेश::**

भोपाल, दिनांक 04 मई, 2011

क्रमांक एफ-2-35/2010/जसं/चौबीस राज्य शासन जनसम्पर्क विभाग के निम्नलिखित सहायक जनसम्पर्क अधिकारियों को सहायक संचालक (पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन बैंड रू.15600-39100+ग्रेड वेतन रू.5400) के पद पर स्थानापन्न रूप से पदोन्नत कर अन्य आदेश पर्यन्त उनके नाम के सामने अंकित कार्यालय में पदस्थ करता है:-

क्र	अधिकारी का नाम	जाति	वर्तमान पदस्थापना	पदोन्नति उपरान्त पदस्थापना
01	श्री आनंद जैन	सामान्य वर्ग	स.ज.सं.का.जबलपुर	जि.ज.सं.का.सिवनी
02	श्री कमर अली शाह	सामान्य वर्ग	स.ज.सं.का.भोपाल	स.ज.सं.का.भोपाल
03	श्री जी.एस.मर्सकोले	अ.ज.जा.	जि.ज.सं.का.शहडोल	जि.ज.सं.का.शहडोल


2. यह पदोन्नति सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से प्रभावशील होगी।
3. पदोन्नत अधिकारी को समयमान वेतनमान के अंतर्गत यदि इसके पूर्व उच्चतर वेतनमान स्वीकृत किया गया है तो उस स्थिति में पदोन्नति के फलस्वरूप तदनुसार नियमों के अंतर्गत वेतन नियमन किया जाएगा।
4. प्रमाणित किया जाता है कि उक्त पदोन्नति के संबंध में म.प्र.लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन 1994) तथा मध्यप्रदेश लोकसेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के उपबंधों और उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
हस्ता./-
(लाजपत आहूजा)
उप सचिव

म.प्र.शासन, जनसम्पर्क विभाग,
भोपाल, दिनांक 04 मई, 2011

प.क्रमांक एफ-2-35/2010/जसं/चौबीस
प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
2. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर पाँच अतिरिक्त प्रतियों सहित
3. आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर/संभाग शहडोल
4. संचालक, सम्पदा संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल
5. कलेक्टर, शहडोल/सिवनी/भोपाल
6. जिला कोषालय अधिकारी, शहडोल/जबलपुर/भोपाल/सिवनी
7. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, जनसम्पर्क विभाग,
8. अपर संचालक/उप संचालक, संभागीय जनसम्पर्क कार्यालय, रीवा/जबलपुर/भोपाल
9. सहायक संचालक, जिला जनसम्पर्क कार्यालय, सिवनी
10. श्री----- सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, संभागीय/जिला जनसम्पर्क कार्यालय, जबलपुर/शहडोल/भोपाल की ओर प्रेषित कर लेख है कि पदस्थापना स्थान पर 15 दिवस के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। निर्धारित समयबन्धि में कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में पदोन्नति आदेश निरस्त किया जा सकेगा।
11. स्टिक फाईल।


(लाजपत आहूजा)
उप सचिव

म.प्र.शासन, जनसम्पर्क विभाग,